



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-17022025-261090
CG-MH-E-17022025-261090

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]
No. 123]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2025/माघ 25, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2025/MAGHA 25, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
अधिसूचना

मुंबई, 14 फरवरी, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
(पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2025

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/230 - बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में,-
 - अध्याय-IV में, विनियम 25 में,
 - उप-विनियम (16क) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

“(16ख) कर्मचारियों को मेहनताने आदि के तौर पर जो कुछ भी दिया जा रहा हो उसके एक निश्चित प्रतिशत की रकम का निवेश असेट मैनेजमेंट कंपनी (आस्ति प्रबंध कंपनी) म्यूचुअल फंड

- स्कीमों की यूनिटों में करेगी, और यह निवेश उन संबंधित (डेज़िग्रेटेड) कर्मचारियों के ओहदों या उनकी भूमिकाओं के आधार पर उसी तरह से किया जाएगा जैसा बोर्ड बताए।”
- (ii) उप-विनियम (29) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-
“(30) असेट मैनेजमेंट कंपनी (आस्ति प्रबंध कंपनी) बोर्ड द्वारा बताई गई स्कीमों की स्ट्रेस टेस्टिंग करवाएगी, और स्ट्रेस टेस्टिंग के नतीजों की जानकारी उसी तरह देगी जैसा बोर्ड बताए।”
- (II) अध्याय-V में, विनियम 35 में, उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“(5) स्कीम ‘नए फंड ऑफर’ के जरिए मिले पैसों का निवेश उतनी समयावधि के भीतर करेगी, जो बोर्ड समय-समय पर बताए।”
- (III) अध्याय-VII में, विनियम 52 में,
(i) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
“(4क) असेट मैनेजमेंट कंपनी (आस्ति प्रबंध कंपनी) म्यूचुअल फंड स्कीमों की यूनिटें बिकवाने (के डिस्ट्रीब्यूशन) से संबंधित शुल्क या कमीशन या फीस उसी प्रकार अदा करेगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।”
- (ii) उप-विनियम (5) में, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों “उप-विनियम (2) और (4) में विनिर्दिष्ट उन से भिन्न कोई व्यय आस्ति प्रबंध कंपनी या न्यासी या प्रायोजकों द्वारा धारित किया जाएगा।” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “उप-विनियम (2), (4) तथा (4क) में जिन खर्चों (व्यय) का जिक्र किया गया है, उन्हें छोड़कर कोई दूसरा खर्चा असेट मैनेजमेंट कंपनी (आस्ति प्रबंध कंपनी) या ट्रस्टी (न्यासी) या प्रायोजकों (स्पॉन्सर) द्वारा किया जाएगा।” आ जाएँगे।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./980/2024-25]

पाद टिप्पण :

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 856(अ), द्वारा 9 दिसम्बर 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् –
 - 15 अप्रैल 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327 (अ), द्वारा
 - 12 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 32 (अ), द्वारा
 - 8 दिसम्बर 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 1223 (अ), द्वारा
 - 14 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 235 (अ), द्वारा
 - 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा
 - 22 मई 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 484 (अ), द्वारा
 - 23 जनवरी 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 69 (अ), द्वारा
 - 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा

- (9) 23 जुलाई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 698 (अ), द्वारा
- (10) 20 फरवरी 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 219 (अ), द्वारा
- (11) 11 जून 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 625 (अ), द्वारा
- (12) 30 जुलाई 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 809 (अ), द्वारा
- (13) 9 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं.956 (अ), द्वारा
- (14) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं.1045 (अ), द्वारा
- (15) 29 मई 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं.632 (अ), द्वारा
- (16) 12 जनवरी 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2004, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/4/2004, द्वारा
- (17) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा
- (18) 12 जनवरी 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 38(अ), द्वारा
- (19) 22 मई 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 783(अ), द्वारा
- (20) 3 अगस्त 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1254(अ), द्वारा
- (21) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/82534/2006, द्वारा
- (22) 27 दिसम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/83065/2006, द्वारा
- (23) 28 मई 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2518, द्वारा
- (24) 31 अक्तूबर 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/4646, द्वारा
- (25) 31 मार्च 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा.सं.11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा
- (26) 16 अप्रैल 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. एलएजी-एनआरओ/जीएन/2008/03/123042, द्वारा
- (27) 22 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एल.ए.डी.-एन.एन.ओ./जी.एन./2008/09/126202, द्वारा
- (28) 29 सितम्बर 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/24/ 139426, द्वारा
- (29) 8 अप्रैल 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/01/ 159601, द्वारा

- (30) 5 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/07/165404, द्वारा
- (31) 29 जुलाई 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/13/13945, द्वारा
- (32) 30 अगस्त 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011, फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/22/27668, द्वारा
- (33) 21 फरवरी 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/38/4290, द्वारा
- (34) 26 सितम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/17/21502, द्वारा
- (35) 16 अप्रैल 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2013, सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/03/5652, द्वारा
- (36) 19 जून 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/12/6108, द्वारा
- (37) 19 अगस्त 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/18/6384, द्वारा
- (38) 6 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/01/1039, द्वारा
- (39) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (40) 30 दिसम्बर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/19/ 1973, द्वारा
- (41) 15 मई 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/005, द्वारा
- (42) 12 फरवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/034, द्वारा
- (43) 15 फरवरी 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/031, द्वारा
- (44) 13 मार्च 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/02, द्वारा
- (45) 30 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/14, द्वारा
- (46) 6 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/50, द्वारा
- (47) 13 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/51, द्वारा
- (48) 1 जनवरी 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/01, द्वारा
- (49) 26 अप्रैल 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/011, द्वारा
- (50) 23 सितम्बर 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/37, द्वारा

- (51) 6 मार्च 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/07, द्वारा
- (52) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (53) 29 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/39, द्वारा
- (54) 4 फरवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/08, द्वारा
- (55) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- (56) 5 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/36, द्वारा
- (57) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/56, द्वारा
- (58) 25 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/70, द्वारा
- (59) 3 अगस्त, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/92, द्वारा
- (60) 16 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/106, द्वारा
- (61) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- (62) 27 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/134, द्वारा
- (63) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/137, द्वारा
- (64) 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/146, द्वारा
- (65) 2 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/188, द्वारा
- (66) 1 अगस्त, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/197, द्वारा
- (67) 16 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/221, द्वारा

संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 14th February 2025

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS) (AMENDMENT)
REGULATIONS, 2025**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/230—In exercise of the powers conferred by section 30 read with clause (c) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, namely—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force with effect from April 1, 2025.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, -

(I) In Chapter IV, in regulation 25,

- (i) after sub-regulation (16A), the following new sub-regulation shall be inserted, namely —
“(16B) The asset management company shall invest a percentage of the remuneration of such employees as specified by the Board in units of mutual fund schemes based on the designation or roles of the designated employees in the manner as may be specified by the Board.”
- (ii) after sub-regulation (29), the following new sub-regulation shall be inserted, namely —
“(30) The asset management company shall conduct stress testing for such schemes as specified by the Board and disclose the results of the stress testing in the form and manner, as may be specified by the Board.”

(II) in Chapter V, in regulation 35, after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely, —

“(5) The scheme shall deploy the funds received in new fund offer within the time period as may be specified by the Board from time to time.”

(III) in Chapter VII, in regulation 52,

- (i) after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely, —
“(4A) The asset management company shall pay charges or commission or fees related to distribution of mutual fund schemes, and in the manner as may be specified by the Board from time to time.”
- (ii) in sub-regulation (5), the words and symbols “(2) and (4)” shall be substituted by the words and symbols “(2), (4) and (4A)”.

BABITHA RAYUDU ,EXECUTIVE DIRECTOR

[ADVT.-III/4/Exty./980/2024-25]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on December 9, 1996 vide S.O. No. 856 (E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 were subsequently amended—
 - (1) On April 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.327 (E).
 - (2) On January 12, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.32 (E).
 - (3) On December 8, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.1223 (E).
 - (4) On March 14, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.235 (E).
 - (5) On March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278 (E).
 - (6) On May 22, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.484 (E).
 - (7) On January 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.69 (E).
 - (8) On May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.476 (E).
 - (9) On July 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.698 (E).
 - (10) On February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.219 (E).
 - (11) On June 11, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.625 (E).
 - (12) On July 30, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.809 (E).
 - (13) On September 9, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.956 (E).
 - (14) On September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045 (E).
 - (15) On May 29, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 632 (E).
 - (16) On January 12, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2004 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/4/2004.
 - (17) On March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398 (E).
 - (18) On January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 38 (E).
 - (19) On May 22, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 783 (E).

- (20) On August 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1254 (E).
- (21) On December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/82534/2006.
- (22) On December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/83065/2006.
- (23) On May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/2518.
- (24) On October 31, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/4646.
- (25) On March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669.
- (26) On April 16, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. LADNRO/ GN/2008/03/123042.
- (27) On May 22, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2008 vide No. LAD-NRO/GN/2008/09/126202.
- (28) On September 29, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2008 vide No. LAD-NRO/ GN/2008/24/139426.
- (29) April 8, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/200910/01/159601.
- (30) On June 5, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD- NRO/GN/2009-10/07/165404.
- (31) On July 29, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/201011/13/13945.
- (32) On August 30, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/201112/27668.
- (33) On February 21, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/38/4290.
- (34) On September 26, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/17/21502.
- (35) On April 16, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/201314/03/5652.
- (36) On June 19, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/12/6108.
- (37) On August 19, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/18/6384.
- (38) On May 6, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/201415/01/1039.
- (39) On May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/201415/03/1089.
- (40) On December 30, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/19/1973.

- (41) On May 15, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2015 No. NROOIAE/GN/2015-16/005.
- (42) On February 12, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2015-16/034.
- (43) On February 15, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/031.
- (44) March 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2018/02.
- (45) On May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2018/14.
- (46) On December 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/50.
- (47) On December 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/51.
- (48) On January 1, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Custodian of Securities) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/01.
- (49) On April 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2019/011.
- (50) On September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/37.
- (51) On March 6, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2020/07.
- (52) On April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (53) On October 29, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/39.
- (54) On February 4, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2021/08.
- (55) On August 3, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- (56) On August 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2021/36.
- (57) On November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/56.
- (58) On January 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2022/70
- (59) On August 3, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/92. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
- (60) On November 16, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/106.

- (61) On February 7, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- (62) On June 27, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2023/134.
- (63) On July 3, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
- (64) On August 17, 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.
- (65) On July 2, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2024/188.
- (66) On August 1, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2024/197.
- (67) On December 16, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LADNRO/GN/2024/221.